कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला निवाडी मध्य प्रदेश

<u>पता– कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना जनपद पंचायत परिसर</u>
<u>जिला निवाडी म0प्र0</u>

(कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला निवाडी मध्य प्रदेश के कार्यालय के पोषण अभियान हेतु मैनपावर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु)

<u>वर्ष 2020–21</u>

(अ) सामान्य जानकारी :–

क्र0	निविदा प्रक्रिया विवरण	तिथि	समय
1	निविदा प्रारंभ करने की तिथि	06.01.2021	प्रातः 10:30 बजे
2	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	15.01.2021	शाम 05:00 बजे तक
3	तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय		शाम 03:30 बजे
4	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय		शाम 03:30 बजे

(ब) प्रपत्र एवं ई.एम.डी. का विवरण:–

क्र0	प्रपत्र एवं ई.एम.डी.	विवरण	राशि
अ	निविदा प्रपत्र	मैनपॉवर व्यवस्था हेतु	1000/ एक हजार रूपये
ब	सुरक्षानिधि की राशि EMD	मैनपॉवर व्यवस्था हेतु	10,000 [redacted] दस हजार रूपये
स	निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि PBG (सफल निविदाकार हेतु	मैनपॉवर व्यवस्था हेतु	

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला निवाडी मध्य प्रदेश

पता– कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना जनपद पंचायत परिसर जिला निवाडी म0प्र0

क्रमांक/............निविदा/2020–21 जिला निवाडी दिनांक.........

ई–निविदा सूचना

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला निवाडी मध्यप्रदेश के पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध हेतु मैनपॉवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से मार्च 2021 की अवधि के लिये ई– निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

- निविदा प्रपत्र राशि रूपये 1000/-(राशि रू. एक हजार मात्र) का ऑनलाईन भुगतान विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 15.01.2021 को सांय 5.00 www.niwari.nic.in के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 15.01.2021 को सांय 5.00 बजे तक ऑनलाईन जमा की जा सकेंगी।
  निविदा हेतु सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा ई.एम.डी. राशि की एफ.डी. आर. दिनांक 15.01.2021 को सांय 5.00 बजे तक **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 पता एकीकृत बाल विकास परियोजना जनपद पंचायत परिसर जिला निवाडी म0प्र0 में जमा किये जा सकेंगे ।** अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नही की जायेगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक_______ एवं वित्तिय बिड _______ को दोपहर _______बजे खोली जायेगी।
- यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।
- कार्यालय कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला निवाडी मध्य प्रदेश को पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
- निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी www.niwari.nic.in पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
- निविदा शुल्क रू 1000/ एक हजार रूपये चालान शीर्ष 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में ऑनलाईन जमा कर पावती प्रस्तुत करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
निवाडी म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला निवाडी मध्य प्रदेश

पता– एकीकृत बाल विकास परियोजना जनपद पंचायत परिसर जिला निवाडी म0प्र0

क्रमांक/............निविदा/2020–21   जिला निवाडी दिनांक..........

निविदा सूचना

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला निवाडी म0प्र0 के पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये सीमित निविदा के माध्यम से 02 लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.01.2021 को सांय 5.00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश पता **कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना जनपद पंचायत परिसर जिला निवाडी म0प्र0** में जमा किये जा सकेंगे। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक.......... एवं वित्तिय बिड ________को दोपहर ________बजे खोली जायेगी।

- यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।
- कलेक्टर / उनके प्रतिनिधि जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला निवाडी म0 प्र0 को आमंत्रित निविदा में भाग लेने वाले किसी भी निविदाकर्ता की निविदा को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने अथवा पूरी निविदा प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला निवाडी म0प्र0

//निविदा की शर्तें //

कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी जिला निवाडी म0प्र0 के पोषण अभियान अंतर्गत मानव संसाधन शासन द्वारा निर्धारित दरों पर निम्न सूची में से आवश्यकतानुसार राशि 31 मार्च 2021 तक मैनपॉवर उपलब्ध कराने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जती है।

क0	पदनाम	संख्या	कार्य का क्षेत्र	वित्तिय मापदण्ड
1	जिला समन्वयक	0	संपूर्ण जिला	30000/ प्रति माह
2	जिला परियोजना सहायक	0	संपूर्ण जिला	18000/ प्रति माह
3	ब्लॉक समन्वयक	02	संपूर्ण परियोजना क्षेत्र	20000/ प्रति माह
4	ब्लॉक परियोजना सहायक	02	संपूर्ण परियोजना क्षेत्र	15000/ प्रति माह

पदवार अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता एवं अनुभव की जानकारी परिशिष्ट 01 संलग्न है।

भाग 1 – सामान्य निर्देश एवं वित्तीय विनिर्देश

1. विविदा प्रकिया–

1.1 **निविदा दस्तावेद** – विविदाकार को निविदा दो लिफाफों ए एवं बी मे डालनी होगी ।

लिफाफें ए में निम्नानुसार अभिलेख /प्रपत्र रहेंगे–

1. **प्रपत्र –अ–1 सूचना पत्र (लिफाफा –ए में रखा जाए)**
2. **प्रपत्र –अ–2 घोषण पत्र (लिफाफा –ए में रखा जाए)**
3. **प्रपत्र–अ–3 धरोहर राशि (लिफाफा –ए में रखा जाए)**
4. **प्रपत्र–अ–4 निविदा की शर्तें एवं नियम से सहमति पत्र (लिफाफा–ए में रखाजाए)**
5. **प्रपत्र–अ–5 निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी (लिफाफा–ए में रखाजाए)**

लिफाफें बी में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रहेंगे–

1. **प्रपत्र –ब–प्राइस बिड (लिफाफा–बी मेंरखा जाए)**

1.2 निविदा प्रकिया का निरसन– आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

1.3 निविदा प्रस्तुतिकरण – निविदा प्रस्ताव दिनांक ~~06.01.2020~~ 15.01.2021 को 5:00 बजे तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ निर्धारित दो लिफाफों ए. एवं बी. में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला...सिवनी...मध्यप्रदेश पता...कक्ष एकीकृत बाल विकास परियोजना ~~शाखा के कक्ष क्रमांक~~ जनपद पंचायत परिसर सिवनी में जमा करना अनिवार्य होगा, इनकी अनुपलब्धता पर निविदा अमान्य की जायेगी

धरोहर राशि/सुरक्षानिधि – धरोहर राशि (ई.एम.डी.) रुपये का एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला...सिवनी...मध्यप्रदेश के नाम ...सिवनी.....शहर में स्थित शाखा पर देय हो को तकनीकी बिड, खोले जाने के पूर्व दिवस दिनांक ...15.01.2021.......को ...5.00 PM...बजे तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला सिवनी मध्यप्रदेश पता एकीकृत बाल विकास परियोजना शाखा के कक्ष क्रमांक जनपद पंचायत परिसर में जमा करना अनिवार्य होगा, एफ.डी.आर की अनुपलब्धता पर निविदा अमान्य की जायेगी।

1.4 निविदाओं का मूल्यांकन – तकनीकी बिड प्रपत्र–अ–1,अ–2,अ–3, अ–4, अ–5, में संलग्न **दस्तावेज** का संचालनालय में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त किये जाकर तकनीकी रूप से वैध निविदाकारो की **प्राईस बिड प्रपत्र–ब** खोलने की कार्यवाही की जावेगी। निविदाकारों को उपस्थित रहने हेतु पृथक से e-Mail द्वारा सूचना दी जायेगी। अतः निविदाकार को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का e-Mail पता अवश्य अंकित करें। दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं की दरें न्यूनतम पाये जाने पर निम्न प्रकिया द्वारा L1 निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा:–

1.4.1 प्रथमतः शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय स्वायत संस्थाओं अथवा ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें राज्य अथवा केन्द्र सरकार की शेयर होल्डिंग हो।

1.4.2 बिन्दु कमांक 1.4.1 के द्वारा छटनी के उपरान्त भी दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं की दरें न्यूनतम पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/अन्य शासकीय संस्थाओं के मध्यप्रदेश में क्रियान्वित परियोजना/परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक संख्या में कुशल अथवा उच्च श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।

1.5 निविदा के साथ संलग्न करने हेतु दस्तावेज का विवरण– प्रस्तुत निविदा मे संलग्न किये गये प्रपत्रों को **तकनीकी बिड एवं प्राईस बिड खोलते समय** निम्न उल्लेखित स्वयं के द्वारा सत्यापित **दस्तावेज** जमा किया जाना अनिवार्य होगा–

1.5.1 **तकनीकी प्रस्ताव –** पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराना होगा। पदवार अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता एवं अनुभव की जानकारी परिशिष्ट–1 संलग्न है। साथ ही इनका मानसिक एवं शारीरिक स्तर सामान्य होना चाहिए। समस्त कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, वांछित होगा। इन कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन निविदाकर्ता को स्वयं करवाकर प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। तकनीकी प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित स्वयं के द्वारा सत्यापित दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य होगा –

1. एजेंसी की स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र।
2. शासकीय कार्यालयों में कार्य करने का तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
3. धरोहर राशि (लिफाफा–ए में रखा जाए)
4. एजेंसी के पास 1 करोड़ रुपये वार्षिक तक के कार्यों का अनुभव विवरण एवं अनुबंध राशि का विवरण।
5. सेवाकर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाणपत्र।
6. आयकर के स्थाई लेखा नम्बर की प्रति।
7. विगत 3 वर्ष की आयकर विभाग द्वारा जारी विवरणीय एवं अन्य कर बकाया न होने का प्रमाणपत्र अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणापत्र।
8. तीन वर्ष की चार्टड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंसशीट।
9. श्रम आयुक्त/संचालक, केन्द्रीय अथवा राज्य में श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनों के प्रमाण पत्र।
10. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।
11. ई.पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
12. ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
13. प्रायवेट मैनपॉवर एक्ट की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
14. विगत लगातार 03 वर्षों में उपलब्ध कराये गये उच्च कुशल एवं कुशल मानव संसाधन की वित्तीय वर्षवार सूची संस्था को प्राप्त भुगतान एवं प्रमाण स्वरूप कार्य पूर्णता आदेश।
15. वित्तीय वर्ष 2019–20 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्धशासकीय संस्थाओं/अन्य शासकीय संस्थानों/परियोजनाओं के मध्यप्रदेश के कार्यालयों मे उच्च कुशल/कुशल श्रेणी के उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन की पदवार संख्यावार सूची।

1.5.2 **वित्तीय प्रस्ताव–** निविदाकर्ता द्वारा निविदा मे घोषित राशि मे निविदा कार्यो के सम्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर, लेबर, रजिस्ट्रेशन, शुल्क, टैक्सेज इत्यादि सम्मिलित होगें। इसका कोई भी

भुगतान अलग से कार्यालय द्वारा देय नही होगा। निविदाकर्ता द्वारा **वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र ब में सीलबंद कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**

2. निविदाकारों की अर्हताएं –

2.1 अर्हताएं –

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा के वैध होने के लिए निविदा के साथ निम्न दस्तावेजों का संलग्न होना अनिवार्य है :–

- गत तीन वर्षो में सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यो (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की संबधित संस्था से प्रमाणित प्रतियाँ।
- निविदाकर्ता को आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र तीन वर्ष का आयकर विवरणी अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र।
- संस्था का तीन वर्ष का चार्टड एकाउन्टेस की बैलेस सीट की सत्यापित प्रतिलिपि।
- निविदाकर्ता से यदि इस कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी से रिश्तेदारी हैं तो उसका विवरण।

2.2 **हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा** – निविदादाता को निविदा की शर्तो के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रो के समस्त पृष्ठो पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

2.3 **निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि** – अनुबंध की अवधि मार्च 2021 तक के लिए होगी। आवश्यकतानुसार इसकी समयावधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला......निवाड़ी.......मध्यप्रदेश द्वारा कमी या दोनो पक्षों के सहमत होने की दशा में 12 माह तक की वृद्वि की जा सकेगी।

2.4 **दरें** – दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर प्रतिशत में दशमलव के दो अंकों तक होना चाहिये।

2.5 **अपात्रताएं** – निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार अपात्र माना जायेगा।

2.6 **शर्तों की ग्राह्यता की संतुष्टि** – जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसके संबंध में यह भी माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ ली एवं समझ ली है। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्ही शर्तो के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की है।

3. अनुबंध का निष्पादन

3.1 **अनुबंध का नोटीफिकेशन** – निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के (रूपये 100/–) गैर–न्यायिक स्टॅाम्प पर (अनुबंध प्रारूप प्रपत्र 'स'' अनुसार) **अनुबंध** निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अन्दर करना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

3.2 **अनुबंध में हस्ताक्षर –** दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

3.3 **बैंक गारंटी–**

- सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि रू. 10,000/-.....की धनराशि का एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कर **जिला कार्यक्रम अधिकारी** महिला एवं बाल विकास **जिला**.......निवाड़ी.......**मध्यप्रदेश**
- के नाम से जमा कराना होगा।
- निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध अवधि में यदि अनुबंधित फर्म मासिक दर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि रूपये ...10,000/-......... (दस हजार रू. CDD / Bankers Cheque) को जप्त कर लिया जावेगा एवं अनुबंध निरस्त कर निविदा प्रक्रिया में द्वितीय न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

3.4 **सेवाएं एवं वारंटी –** कार्यस्थल पर अनुबंधित फर्म के कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओ का सेवन नही करेगें तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियो के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधित फर्म के विरूद्ध प्रचलित नियमों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3.5 **पैनाल्टी –** मैनपॉवर व्यवस्था हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी प्रकार की अनिमियता पाये जाने की स्थिति में देयक में से अनुबंधित फर्म को प्रदाय किये जा रहे सर्विस चार्ज का 50 प्रतिशत तक की जुर्माना राशि का कटोत्रा किया जा सकेगा एवं अनुबंध निरस्त करने पर भी विचार किया जा सकेगा।

- **अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन –** सफल निविदाकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों का उल्लघन होने की दशा में अथवा अनुबंधित निविदाकर्ता के कर्मियों का व्यवहार एवं कार्य सन्तोषप्रद न होने पर या कर्मचारियों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लघंन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित **कर्मी** को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार **जिला कार्यक्रम अधिकारी** महिला एवं बाल विकास **जिला**......निवाड़ी........**मध्यप्रदेश** को होगा तथा धरोहर राशि की पूरी अथवा आंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।

4. भुगतान –

4.1 अनुबंधित निविदाकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह में उपस्थित मैनपॉवर की संख्या के मान से देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।

4.2 अनुबंधित निविदाकर्ता को ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की प्रतिमाह कटौती कर जमा करने एवं सर्विस टैक्स जमा कर चालान की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

4.3 अनुबंधित निविदाकर्ता कर्मचारियों को मासिक भुगतान उनके खाते में करेगा एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते की पासबुक की छायाप्रतियां चाहे जाने पर उपलब्ध कराएगा।

5. <u>विवाद का निराकरण</u>–

- किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अपचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार **कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि** **जिला कार्यक्रम अधिकारी** महिला एवं बाल विकास **जिला** निवाड़ी **मध्यप्रदेश** पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण जिला ......निवाड़ी....... स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास, निवाड़ी
विभाग मध्यप्रदेश

प्रपत्र – अ–1
//सूचना पत्र//
(लिफाफा–ए में रखा जाए)

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास,
.... (म.प्र.)

विषयः– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला.............................. मध्यप्रदेश में कार्यालय के पोषण अभियान हेतु मैनपावर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला.............................. मध्यप्रदेश के पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन शासन द्वारा निर्धारित दरों पर सीमित निविदा आमंत्रित की गई है इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं :–

1. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव का प्रमाण पत्र।
2. विगत वर्ष में निविदाकर्ता का कार्य रूपये 01 करोड़ वार्षिक से अधिक होने का प्रमाण पत्र।
3. निर्धारित शर्त अनुसार फर्म का 01 करोड़ से अधिक टर्नओवर का चार्टेड एकाउन्टेंट से सत्यापित प्रमाण पत्र।
4. श्रम आयुक्त/संचालक केन्द्रीय अथवा राज्य शासन द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत संस्थान का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. आयकर विवरणी एवं आयकर स्थायी लेखा संख्या की छायाप्रति।
6. सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. सफलतापूर्वक पूर्ण किये गए कार्यो (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की प्रतियां।
8. संस्था की स्थापना पंजीयन की छायाप्रति।
9. ई.पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
10. ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
11. प्रायवेट सुरक्षा एक्ट 2005 की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।

दिनांक : .... हस्ताक्षर : ....

स्था.: ....

फर्म का नाम :.......................

प्रपत्र – अ–2

//घोषणा पत्र//

(लिफाफा–ए में रखा जाए)

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम .... भारत का/के नागरिक हूं/है। (आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा।)
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूं/है।
3. मुझे/हमें मैन पावर उच्च कुशल, कुशल, अकुशल **श्रमिक के** कार्यों के लिए म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो के ना तो अभिकर्ता हूं/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूं/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त कर्मियों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।
7. मैं/हम (एजेन्सी) अपने कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर उनके खाते में ही भुगतान करेंगे।
8. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगें।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

फोन एवं मो. नं. ....

प्रपत्र – अ–3

//सुरक्षा निधि//

(लिफाफा–ए में रखा जाए)

कार्य का नाम :– जिला कार्यक्रम अधिकारी मध्यप्रदेश जिला............................मध्यप्रदेश में मैनपॉवर उपलब्ध कराने हेतु निविदा बाबत्।

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का विवरण दर्ज कर संबधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाके में अर्नेस्टमनी (राशि) दस्तावेज उल्लेख करते हुये रखने हेतु।

अनुबंध हेतु जमा अर्नेस्टमनी से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. का विवरण :–

क्रमांक	एफ.डी.आर. का क्र. एवं दिनांक	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	वैधता अवधि

कार्य का नाम : ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक : ....

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

फोन एवं मो. नं. ....

प्रपत्र – अ–4

//निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र//

(लिफाफा–ए में रखा जाए)

//सहमति पत्र//

मैं .... पुत्र .... वास्ते फर्म .... आपके कार्यालय द्वारा मैनपॉवर व्यवस्था (पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) हेतु विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत वर्णित कंडिका क्र. 1 से लेकर 5 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

हस्ताक्षर ....

नाम : ....

पता ....

प्रपत्र – अ–5

//निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी//

(लिफाफा–ए में रखा जाए)

निविदाकार का नाम :-

क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1.	एजेंसी की स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र।	
2.	शासकीय कार्यालयों में कार्य करने का तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।	
3.	आयकर के स्थाई लेखा नम्बर की प्रति।	
4.	एजेंसी के पास 1 करोड़ रुपये वार्षिक तक के कार्यों का अनुभव विवरण एवं अनुबंध राशि का विवरण।	
5.	सेवाकर प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाणपत्र।	
6.	विगत 3 वर्ष की आयकर विभाग द्वारा जारी विवरणीय एवं अन्य कर बकाया न होने का प्रमाणपत्र अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणपत्र।	
7.	तीन वर्ष की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंसशीट।	
8.	श्रम आयुक्त/संचालक, केन्द्रीय अथवा राज्य में श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनो के प्रमाण पत्र।	
9.	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
10.	ई.पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।	
11.	ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।	
12.	प्रायवेट मैनपॉवर एक्ट की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।	
13.	विगत लगातार 03 वर्षों में उपलब्ध कराये गये उच्च कुशल एवं कुशल मानव संसाधन की वित्तीय वर्षवार सूची संस्था को प्राप्त भुगतान एवं प्रमाण स्वरूप कार्य पूर्णता आदेश।	
14.	वित्तीय वर्ष 2019-20 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्धशासकीय संस्थाओं/अन्य शासकीय संस्थानों/परियोजनाओं के मध्यप्रदेश के कार्यालयों में उच्च कुशल/कुशल श्रेणी के उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन की पदवार संख्यावार सूची।	

- नोट :-निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई सत्य जानकारी नही दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने का तथा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी, जिसका पूर्ण अधिकार कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला.........................मध्यप्रदेश को होगा .

निविदाकार का नाम : ....

हस्ताक्षर .... दिनांक ....

प्रपत्र – ब
(वित्तीय प्रस्ताव प्राइस बिड)
(दरों की प्रविष्टि ऑनलाईन की जाये)

जिला कार्यक्रम अधिकारी.................... (म.प्र.)

कार्य का नाम:– जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला.................... मध्यप्रदेश के कार्यालय में पोषण अभियान हेतु मैनपावर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा।

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

निविदा प्रपत्र अनुसार कार्य के लिये मासिक दरें :–

क्रमांक	विवरण	
1	एजेन्सी का सर्विस चार्ज CGST, SGST एवं सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई देय शुल्क को छोड़कर (प्रतिशत में दशमलव के बाद अधिकतम दो अंक तक)	
2	अन्य कोई व्यय जो अपेक्षित हो	

निविदाकार का नाम : ....

हस्ताक्षर .... दिनांक ....

प्रपत्र – अ–6

//अनुबंध का प्रारूप//

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला..मध्यप्रदेश के कार्यालय हेतु मैनपॉवर व्यवस्था हेतु **कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि** जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला..जो इस अनुबंध के प्रथम पक्ष होंगें तथा .... जो इस अनुबंध में द्वितीय पक्ष होंगें के मध्य आज दिनांक .... को अनुबंध सम्पादित किया जा रहा है। निविदा पत्र में दी गई समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग होंगी। यह अनुबंध पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही दिनांक .....में स्वीकृत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता .... एवं आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास/प्रतिनिधि के मध्य है।

अनुबंध के नियम एवं शर्तें :–

1. निविदा की शर्तों के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क्र.1 से लेकर 7 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का द्वितीय पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।

2. कार्यालय में मैनपॉवर व्यवस्था बनाये रखने हेतु एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

4. मैनपॉवर व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की जान–माल की सुरक्षा द्वितीय पक्ष की रहेगी।

5. अनुबंध की अवधि मार्च 2021 तक के लिए होगी। आवश्यकतानुसार इसकी समयावधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला....................मध्यप्रदेश द्वारा कमी या दोनों पक्षों के सहमत होने की दशा में 12 माह तक की वृद्धि की जा सकेगी। यदि द्वितीय पक्षकार मैनपॉवर व्यवस्था करने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा धरोहर राशि को जप्त कर लिया जावेगा एवं अनुबंध निरस्त कर किसी अन्य निविदाकर्ता से अनुबंध किया जावेगा।

   - मैनपॉवर व्यवस्था अन्तर्गत कार्यरत् कर्मी की संख्या कम अथवा अधिक करने एवं प्रत्येक माह कार्य दिवसों का निर्धारण करने का अधिकार **जिला कार्यक्रम अधिकारी** महिला एवं बाल विकास **जिला**..............................**मध्यप्रदेश**

6. मध्यप्रदेश **जिला** .... के पास सुरक्षित होगा।

7. पोषण अभियान अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन की न्यूनतम अर्हता भारत सरकार द्वारा निर्धारित ToR अनुसार अनिवार्य होगी साथ ही इनका मानसिक एवं शारीरिक स्तर सामान्य होना चाहिए। समस्त कर्मियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, वांछित होगा। इन कर्मियों का पुलिस सत्यापन द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं करवाकर प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।

8. द्वितीय पक्ष को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् मैनपॉवर व्यवस्था अन्तर्गत कार्यरत् कर्मियों का नाम, पता एवं पासपोर्ट साईज के फोटो इत्यादि की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

9. द्वितीय पक्ष द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह में उपस्थित मैनपॉवर व्यवस्था अन्तर्गत कर्मियों की संख्या के मान से देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।

10.1 द्वितीय पक्ष को वेतन में से ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. कटोती प्रतिमाह जमा करने एवं सर्विस टेक्स जमा कर चालान की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

10.2 निविदा में दी गई दरें पोषण अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने आधार पर जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगी। किसी भी स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित मासिक दर से कम का भुगतान कर्मियों को नहीं किया जावेगा।

10.3 अनुबंधकर्ता पर अनुबंध की किसी शर्त का उल्लघन पाये जाने की दशा में उसके उपर लगाया गया अर्थदण्ड अनुबंधकर्ता को प्रदाय किये जा रहे सर्विस चार्ज से देय होगा। अनुबंधकर्ता किसी भी दशा में उक्त अर्थदण्ड का भार पोषण अभियान अन्तर्गत विभाग को उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के मानदेय पर नही डालेगा।

10.4 द्वितीय पक्ष कर्मचारियों को मासिक भुगतान चेक के माध्यम से उनके खाते में करेगा एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते की पासबुक की छायाप्रतियां चाहे जाने पर उपलब्ध कराएगा।

10. द्वितीय पक्ष श्रम कानून के पालन के लिये जिम्मेदार होगी एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्राप्त कर जमा करना होगा।

11. द्वितीय पक्ष को नियुक्त करने वाले कर्मचारियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी./सर्विस टैक्स तथा भविष्य में कोई भी टैक्स निर्मित होते है तो उनको जमा करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

12. निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध अवधि में यदि अनुबंधित फर्म मासिक दर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि रूपये 20,000/- को जप्त कर लिया जावेगा एवं अनुबंध निरस्त कर निविदा प्रक्रिया में द्वितीय न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

13. सेवाएं एवं वारंटी – कार्यस्थल पर अनुबंधित फर्म के कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेगें तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधित फर्म के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14. पेनाल्टी – मैनपॉवर व्यवस्था हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में देयक में से अनुबंधित फर्म को प्रदाय किये जा रहे सर्विस चार्ज का 50 प्रतिशत तक की जुर्माना राशि का कटोत्रा किया जा सकेगा एवं अनुबंध निरस्त करने पर भी विचार किया जा सकेगा।

15. किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार **कलेक्टर** (महिला एवं बाल विकास) **जिला** .... के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। **कलेक्टर** (महिला एवं बाल विकास) **जिला** .... का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भुत होने पर प्रकरण **जिला** .... स्थिति न्यायालय में ही चल सकेगा।

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

गवाह :–

1.

2.

गवाह :–

1.

2.

पदवार अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यता एवं अनुभव की जानकारी परिशिष्ट 01 संलग्न (जिला निवाड़ी म0प्र0)

Name of post	Number of post	Education	Experience	Scope of work
Block Coordinator	02	**Graduate.** At least 2 years experience of• working with technology and software application support Good oral and written• communication in local language Mandatorily local candidates• should be engaged.	Formal training on IT/• computer Worked with front line• workers in any Social Development Program of Government Proven ability to• successfully handle multiple tasks within a team environment Attention to detail and• problem solving skills	1. Supporting training of AWWs and Supervisors in Information and Communication Technology enabled Real Time Monitoring (ICT-RTM). 2. Monitoring usage of ICT-RTM by AWWs by using CAS Reports and follow-up on low usage. 3. Providing in-person and over-phone troubleshooting support to users facing hardware or software problems with mobiles, tablets and basic issues with CAS application. 4. Logging issues in the Issue Tracker application, which is part of CAS. 5. Training reinforcement to AWWs identified as low performers using CAS Reports. 6. Providing performance feedback to AWWs. 7. Submitting phones to Original Equipment Manufacturer (OEM) for hardware replacement and repair. 8. Escalation of issues to Block/District Coordinator via the Issue Tracker application. Criteria for escalation will be defined in CAS Guidelines. 9. Supporting Block level ICDS officials on usage of CAS system. 10. Any other task as indicated by CDPO.
Block Project Assistant	02	**Graduate.** At least 1 year experience of• working with Community/Local Government Good oral and written• communication in local language Mandatorily local candidates• should	Worked with front line workers in any Social Development Program of Government Proven ability to• successfully handle multiple tasks within a team environment Attention to detail and• problem solving skills	Supervising overall implementation of the Mission activities in the block. 2. Organization/facilitation of the trainings of the ICDS Supervisors and AWWs in coordination with the District Team. 3. Making regular supportive supervision visits to AWCs, provide on-site support to AWWs and monitor implementation. 4. preparing monthly progress/monitoring

		be engaged.		reports in the prescribed format and submit the same to the District Coordinator; etc. 5. Any other task as indicated by CDPO